उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-148/2019/2001/92-2-19-79जांच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 22 अक्टूबर,2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-रामपुर में वर्ष 2013-14 में चयनित डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम-आगापुर, विकास-खण्ड-चमरउआ, प्रखण्ड-रामपुर में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जांच आख्या दिनांक 24-12-2018 में परिलक्षित शासकीय क्षति हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-32/2019/473/92-2-19-79जांच/15 दिनांक 21-02-2019 द्वारा श्री अब्दुल वाहिद, तत्का0 अधिशासी अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रामपुर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परि0-झांसी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0, लखनऊ के पत्रसं0-768/ग्रा0अ0 वि0/अनु0जांच-अमरोहा/19-20 दिनांक 31-08-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित एक मात्र आरोप स्थापित नही पाया गया।

2- अत: अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा कार्य कराते समय कार्य मानक के अनुरूप नही कराया गया, जिसके फलस्वरूप रू0 110.87 की शासकीय क्षति हुई। यद्यपि इस शासकीय क्षति की धनराशि को संबंधित ठेकेदार द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपचारी अधिकारी, श्री अब्दुल वाहिद द्वारा मानक के अनुरूप कार्य नही कराया गया और शासकीय क्षति उत्पन्न हुई। अतएव उक्त कृत्य के लिये अपचारी अधिकारी श्री अब्दुल वाहिद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रामपुर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परि0-झांसी के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-32/2019/473/92-2-19-79जांच /2015 दिनांक 21-02-2019 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें कठोर चेतावनी देते हुये एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-148/2019/2001/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री अब्दुल वाहिद, तत्का0 अधिशासी अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रामपुर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परि0-झांसी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।